भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1003
उत्तर देने की तारीख 02 दिसंबर, 2024
11 अग्रहायण, 1946 (शक)

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2024

1003. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2024 में नि:शक्त एथलीटों के लिए समावेशिता और सहायता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुर:स्थापित किए गए विशिष्ट उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार से कितने नि:शक्त खिलाड़ियों को सहायता प्राप्त हुई है तथा उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में किस प्रकार की सहायता दी गई है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं कि इन एथलीटों की सुविधाओं, कोचिंग और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिस्पर्धात्मक अवसरों तक समान पहुंच हो; और

(घ) ये पहलें समावेशी खेल वातावरण को बढ़ावा देने और वैश्विक मंचों पर नि:शक्त एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ किस प्रकार अनुरूप हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 (मसौदा) को पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया तहत जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है, और इसे https://yas.nic.in/sites/default/files/Draft%20National%20Sports%20Governance%20Bill%20-2024.pdf पर देखा जा सकता है।

विधेयक में सुशासन प्रथाओं के माध्यम से खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों (पैरालंपिक खिलाड़ियों सहित) के कल्याणार्थ उपाय, खेलों में नैतिक आचरण के प्रावधान मौजूद हैं। इसके अलावा, विधेयक की धारा 4 राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति (एनपीसी) की स्थापना और मान्यता से संबंधित है, जो विशेष रूप से पैरालम्पिक खिलाड़ियों संबंधी निकाय है। इसके अतिरिक्त, अध्याय VI, जो एथलीट आयोग से संबंधित है को शामिल किया गया है ताकि एथलीटों के विचारों

और राय का प्रतिनिधित्व हो सके तथा एनपीसी के भीतर उनकी आवाज का सुना जाना सुनिश्चित हो सके।

(ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता स्कीम के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित एथलीटों को उनकी तैयारी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें पौष्टिक आहार, खाद्य सप्लीमेंट, उपकरण सहायता, अत्याधुनिक अवसंरचना, आवास, यात्रा सुविधाएं, प्रतिष्ठित भारतीय और विदेशी कोचों/सहायक कर्मचारियों की सेवाएं, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता, खेल किट आदि शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में नियमित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और पाथवे स्पर्धाओं के अलावा, मेगा खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	स्पर्धा	खिलाड़ियों की संख्या
1	स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2019	289
2	टोक्यो पैरालिंपिक 2020	54
3	डेफलिंपिक, 2021	65
4	राष्ट्रमंडल खेल 2022	16
5	पैरा एशियाई खेल 2022	303
6	स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023	198
7	पेरिस पैरालिंपिक 2024	84

इसके अलावा, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत प्रतिभाशाली एथलीटों का चयन किया जाता है और उन्हें आउट ऑफ पॉकेट भत्ता, उपकरण सहायता, कोच आदि जैसी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले 5 वर्षों में कुल 158 दिव्यांग खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) : पैरा-एथलीटों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अलावा, अन्य खिलाड़ियों के समान सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भारतीय पैरा-एथलीटों को इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) की विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, सभी साई स्टेडियमों और प्रशिक्षण केंद्रों को दिव्यांग-अनुकूल बनाया गया है और दिव्यांग एथलीटों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उनका उन्नयन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा पैरा खेलों को वित्तीय सहायता के लिए "प्राथमिकता" श्रेणी में रखा गया है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन के लिए सभी अपेक्षित सहायता प्रदान की जाती है।

*****